

हुक्मनामा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज0

प्रकरण संख्या : पत्थरगढी 41/2022

दिनांक : 4-5-22

श्रीमति दुर्गा देवी पत्नि श्री राकेश कुमार जी जाति माहेश्वरी आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

.....प्रार्थीया

//बनाम//

मोहन पिता धन्ना जी गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

.....विपक्षी

कार्यवाही धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट


प्रेषिती :-

श्रीमान् तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज0

जो कि प्रार्थीया ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा रावलिया प0ह0 भावलिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 की खाता संख्या नया 90 जिसके आ0 न0 510 रकबा 0. 1400 हैक्टेयर स्थित है, इस आशय की पत्थरगढी पेश की। साथ में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश की। पत्रावली का अवलोकन कर उस पर विश्वास करते हुए आपको जरिये हुक्मनामा आदेशित किया जाता है कि आप पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पहुंच कर बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे व फीस पत्थरगढी रूपया 5000/- प्रार्थीया से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 1-6-22 को पेश करे।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 4-5-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी किया गया।




उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)